138

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3922—दो/16 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10—10—2016 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार आष्टा जिला सीहोर म0 प्र0 के प्रकरण कमांक 01/अ—13/2015—16.

.....

1—शिवनारायण पाटीदार पुत्र स्व0 श्री रामसिंह

2—गणेश पुत्र शिवनारायण पाटीदार

3—संतोष पुत्र शिवनारायण पाटीदार

निवासीगण अरोलिया तहसील आष्टा

जिला सीहोर म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—सुनील पुत्र गेंदालाल नाई

2—बद्रीप्रसाद पुत्र आशाराम पाटीदार

निवासीगण अरोलिया तहसील आष्टा

जिला सीहोर म0प्र0

——अनावेदकगण

.....

श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री नोमान खान अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 25-10-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार आष्टा जिला सीहोर म0 प्र0 द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 10–10–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा दिनांक 13.6.16 को तहसीलदार तहसील आष्टा को आवेदन प्रस्तुत किया जाकर अनुरोध किया गया कि भूमि ग्राम अरोलिया तहसील आष्टा में स्थित होकर उसके नाम दर्ज है इस में आने जाने हेतु आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 370 रकवा 0.781 है0 अनावेदक बद्री प्रसाद रूढिगत रास्ते का उपयोग विकेता एवं आवेदक द्वारा किया जाता रहा हैं इस रास्ते को आवेदकगण द्वारा आबद कर अवरूद्व कर दिया गया है। तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.10.16 को स्थगन जारी कर रास्ता खोलने का आदेश दिया गया इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर तर्क किया है कि अनावेदक सुनील द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रकरण कमांक 1/अ–13/2015–16 दर्ज कर दिनांक 27.6.16 को जबाव एवं सुनवाई हेतु नियत किया गया उक्त दिनांक को अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता पत्र प्रस्तुत किया प्रकरण में आवेदक को निर्देश दिया गया कि शिवनाराण, गणेश एवं संतोष को मूल दावे के समस्त दस्तावेज उपलब्ध करावें। उक्त विचाराधीन प्रकरण में आवेदक को आवेदन एवं आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये एवं प्रकरण में निगरानीकर्ता का जबाव प्रस्तुत करने एवं तर्क श्रवण किये बगैर ही अवसर समाप्त करते हुये मात्र राजस्व निरीक्षक की एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 10.10.16 को आलोच्य आदेश पारित करते हुये खसरा कमांक जो आवेदन पत्र में प्रश्नाधीन ही नहीं था, उक्त खसरा कमांक 354 को कदीमी रास्ता मानते हुये निर्देशित किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में लेख किया गया है कि अनावेदक कमांक 1 सुनील द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 13.6.16 के पेरा 2 में भूमि खसरा कमांक 370 रकवा 0.781 है0 पर अनावेदक कमांक 4 बद्री प्रसाद का रूढिगत रास्ता बतलाते हुये आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थना आवेदन पत्र में भी खसरा कमांक 372/5 पर आने जाने का रास्ता जो भूमि खसरा कमांक

370 पर से है को दिलवाये जाने का निवेदन किया गया। लेकिन विचारण न्यायालय ने स्वयं के द्वारा जांच किये बगैर बिन मांगे ही बिना किसी आधार व अधिकार के खसरा कमांक 354 की भूमि पर से कदीमी रूढिगत रास्ता मानते हुये विपरीत आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो मात्र इसी आधार पर निरस्त योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 10.10.16 निरस्त किया जाकर आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में लेख किया गया है कि अनावेदक द्वारा धारा 131 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत आवेदन तहसीलदार आष्टा को प्रस्तुत किया कि खसरा कमांक 372/5 रकबा 0.263 स्थित ग्राम अरोलिया को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा प्रतिप्रार्थी कमांक 2 द्वारा भूमि खसरा कमांक 370 रकबा 0.781 है0 पर स्थित रूढ़ीगत कदीमी रास्ते का उपयोग खसरा कमांक 372/5 की भूमि पर गाडी बैल टेक्टर ट्राली ले जाने के लिये किया जाता था जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पूर्व से दक्षिण की ओर जाता है पर लोगों ने अवैध रूप से रास्ता रोक रखा है जिसे खुलवाया जाने का निवेदन किया था जिसे दिनांक 10.10.16 को तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर रास्ता खोलने के आदेश दिये गये है और प्रकरण अभी विचारण न्यायालय में संचालित है। लेकिन आवेदक द्वारा प्रकरण को लंबित रखने की दृष्टि से माननीय न्यायालय में अंतिरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के लेखी बहस का अध्ययन किया गया एवं तर्क सुने गये। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार आष्टा द्वारा पटवारी/राजस्व निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर ही रास्ता खोलने के आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार आष्टा के आदेश दिनांक 10.10.16 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अभी तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण संचालित है और उभयपक्ष को सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय तहसीलदार आष्टा जिला सीहोर म0 प्र0 के प्रकरण कमांक 01/अ–13/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 10.10.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर